न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 75/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		महिपालसिंह पुत्र सोहनसिंह मैसर्सः– श्री करणी बेकर्स एवं फास्ट फूड मेडता

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।

निर्णय **दिनांक –26.05.2025**

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 06 गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.2022 को श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, मेडता द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत गोटन स्थित श्री करणी बेकर्स एवं फास्ट फूड, गोटन पर आकस्मिक जांच की गई। वक्ता जांच मौके पर श्री महीपालसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह उपस्थित मिले जिन्होंने अपने आप को श्री करणी बेकर्स एवं फास्ट फूड, गोटन का संचालक बताया। मौके पर प्रतिष्ठान की जांच करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडे हुए पाये गये जिस पर कचोरी, समोसा एवं मिठाई तैयार की जा रही थी। मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। श्री महीपालसिंह से घरेलू गैस के भण्डारण व व्यसायिक दुरूपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यवसायिक दुरूपयोग से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेजें व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री महीपालसिंह द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दुकान में भण्डारित 2 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर एवं व्यवसायिक कार्य में काम में लिये जा रहे 4 घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 6 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	सिलेण्डर का कुल वजन
1	एच.पी. गैस	514121	14.2 किग्रा
2	एच.पी. गैस	188086	0.550 किग्रा
3	एच.पी. गैस	876795-S	0.550 किग्रा
4	एच.पी. गैस	440697-T	2.080 किग्रा
5	एच.पी. गैस	233735	4.300 किग्रा
6	एच.पी. गैस	344757	13.350 किग्रा

उपरोक्त 06 गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री रानाबाई एचपी गैस ग्रामीण वितरक गोटन के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिये जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार महीपालसिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड

26/5/25

अपर कलक्टर, नागौर

डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में उपयोग विनियमन) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 06 गैस सिलेण्डर मय गैस कोआवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, मेडता द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 06 गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री महिपालसिंह से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (ब), 7(1)()(इ)(ब) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 06 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (ब्वदपिबंजम) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 06 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

3. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर